न्यायालय भूमि सुधार उप-समाहर्ता, बेनीपुर (दरभंगा)

मो० मोनव्वरा बीबी
बनाम
मो० कालमनी [illegible]

भू० विवाद सं० → 29/12-13

आदेश

12-9-12 — यह वाद अंचल अधिकारी, बेनीपुर के पत्रांक 936 दिनांक 22-11-12 द्वारा प्रेषित दाखिल खारिज वाद सं० 04/11-12, मो० मोनव्वरा बीबी पति मो० [illegible] खुरशीद ग्राम [illegible] के आवेदन के [illegible] प्राप्ति की गई, के अवलोकन के [illegible] में प्राप्ति की गई।

वादी के आवेदन में उल्लेखित है कि [illegible] दाखिल खारिज सं० 04/11-12 में प्रस्तावित स्थल का पुराना [illegible] मौजा [illegible] थाना नं० 240 तौजी सं० 10269 खाता नं० 305 खेसरा नं० 363, 364, 365 रकबा 9 डि० केवाला सं० 1808 दिनांक 27-2-47 [illegible] पिता [illegible] साकिन [illegible] ग्राम [illegible] खाजा मंजूर वो [illegible] खाजा मंजूर वो [illegible] खाजा मंजूर वो [illegible] पिता [illegible] मंजूर वो [illegible] खाजा मंजूर पे० सलीम खाजा मंजूर साकिन [illegible] के [illegible] किया है। [illegible] में पुराना खेसरा 365 रकबा 0-2-10 खेसरा पुराना 364 रकबा 0-0-4 एवं खेसरा नं० पुराना 366 रकबा 0-0-18 धुर कुल रकबा 0-3-13 दर्ज है। [illegible] केवाला सं० 8326 दिनांक 21-7-61 ई० से मो० [illegible] पे० [illegible] द्वारा [illegible] को पुराना खेसरा नं० 364 से 0-0-10 धुर जमीन केवाला किया है, एवं केवाला सं० 14027 दिनांक [illegible] से [illegible] मंजूरी से कीमत [illegible] जमीन को पुराना खेसरा नं० 365, 364, 366 से 0-0-10 धुर जमीन केवाला किया गया है। इस प्रकार दोनों केवाला से आवेदक को 0-1-0 1/2 कट्ठा जमीन केवाला के साथ [illegible] चौकिदी 30 [illegible] [illegible] कागज मंजूरी पर मो० [illegible] है। अंचल अधिकारी [illegible] स्थानीय जाँच से ज्ञात हुआ कि उक्त जमीन आवेदक

न्यायालय भूमि सुधार उप-समाहर्ता दरभंगा

मो० मोहतकीम व पे० मो० मोसलीम को मकान मय सहन कराया है। जिसमें श्री० हाजमगी मंसूरी व खातून मंसूरी पे० खलकल ग्राम आवेदक का नया आमन्त्रणा में बाधा आना जाता है जिस पर विवाद उत्पन्न हो गया है।

प्रतिवादी द्वारा जिला अधिवक्ता के माध्यम से दाखिल प्रस्तुत दिनांक 3.8.15 में उल्लेखित है कि मौजा मुकुन्दपुर के पुराना खसरा नं० 364, 365 व 366 रकबा 2.54 को तकरार में लाने का अधिकार ही नहीं था सिर्फ OP2 को तंग करने के उद्देश्य से यह मुकदमा दाखिल किया गया है क्योंकि नया खाता खतौनी संख्या नं० 679 फैजाबाद जिला खसरा के नाम से खुला है वो पक्षकार अर्जीदार तथा खतौनी के रेवेन्यू खाने में अपना नाम दर्ज नहीं करा रहे हैं मुकदमा खारिज होने के लायक है। प्रस्तुत कण्डिका 6 में उल्लेखित है कि OP2 के पिता खदेरू खान मंसूरी व उनके भाई थे जो मौजा मुकुन्दपुर परगना के पुराना खाता नं० 389 पुराना खसरा नं० 365 में रकबा 2 डेसी दस धुर, खसरा 364 में रकबा 4 डेसी 10 धुर व खसरा 366 में रकबा 10 धुर दिनांक 27-2-57 को निष्पादित बैनामा से रकबा 3 कट्ठा 12 धुर हिस्सा के ऊपर खरीददार काबिज दाखिल हुए। वादी ने ये कि दिनांक 01-7-64 को बाला मुस्लिम अंसारी पत्नी से 10 धुर रकबा बैनामा नं० 8992 दिनांक 21-7-1964 ई० से खरीद किया नहीं दर्शाया गया है जो मुस्लिम अंसारी फरोख्त करने का नहीं दर्शाया गया है यह भी उल्लेखित है कि OP2 के पिता ने पुराना खसरा 365 एवं 366 में रकबा 6 धुर एवं खसरा 364 में रकबा 4 धुर फरोख्त कर दिया लेकिन आवेदक ने रकबा 10 धुर लिखा है जो गलत है। आवेदक को खसरा 364, 365 व 366 में सिर्फ 10 धुर का अधिकार है न कि दूसरे खसरों की अन्य जमीन पर। यह भी उल्लेखित है कि नया खाता 679 नया खसरा 569 रकबा 9 डि०

 BLDR Case No 29/12-13

न कि प्रार्थी आवेदक के नाम से कबूला है। प्रस्तुत में यह भी उल्लेखित है कि वादी का सिर्फ 29 डी० जमीन पर घर है जबकि विपक्षी का 29 डी० जमीन पर घर है। इन्हीं तथ्यों के आलोक में वाद को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ताओं का अभिकथन सुना एवं अभिलेख व सम्बंधित कागजों का अवलोकन किया एवं अनुक्रम परीक्षण किया।

निष्कर्ष: वादी एवं प्रतिवादी द्वारा जो दावा की गई भूमि Revisional Survey खतियान में RSP 579 खाता RS खाता 679 रकबा 9 डी० गैरमजरुआ बिहार सरकार के नाम से दर्ज है। विवादित भूमि पर विपक्षों का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। अंचल अधिकारी अंचल को निदेश दिया जाता है कि खतियानी प्रविष्टि एवं कानून व्यवस्था के आलोक में [illegible] बी.पी.पी.एल. के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाय। विपक्षी द्वारा केवाला के आधार पर किया गया दावा एक Complex issue है। निबंधित खतियानी प्रविष्टि के बावजूद निर्धारण करना सक्षम नहीं है।

उपरोक्त निष्कर्ष एवं निर्देश के साथ यह वाद को निष्पादित किया जाता।

लेखापित व संशोधित

[illegible]
12-3-[illegible]
भूमि सुधार उप समाहर्ता
बेनीपुर

(मुहर: न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, बेनीपुर, दरभंगा)

[illegible]
12-3-[illegible]
भूमि सुधार उप समाहर्ता
बेनीपुर